अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपील वाद संख्या–13/2016

सोहन साव एंव बनाम प्रयाग मांझी एवं अन्य एंव राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

3/8/18

प्रस्तुत अपीलवाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी वाद संख्या–24/2014–15 में दिनांक–12.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर वाद में दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत कर विधिवत सुनवाई की गई है। वाद से संबंधित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

ग्राम	खाता नं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
संग्रामपुर	17	1368	0.12
संग्रामपुर	17	1369	1.07
संग्रामपुर	17	1370	0.22
संग्रामपुर	17	1777	0.53
संग्रामपुर	17	2288	0.87
कुल–			2.81

प्रथम पक्ष के विद्धान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–संग्रामपुर, थाना–गोला के खाता नं0–17, कुल रकबा–27.10 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गया मंझियान पति– जंगल मांझी के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत गया मंझियाईन अपनी संपूर्ण भूमि पर का जोत आबाद करने में सक्षम नहीं थी। फलस्वरूप उक्त भूमि बराबर परती रहता था एवं मालगुजारी भी बाकी रहा करता था। इसलिए गया मंझियाईन अपने जीवन काल में ही मौजा–संग्रामपुर, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के खाता नं0 17 के प्लॉट नं0 2276, 2277, 2278, 2279, 2281, 2283, 2284, 2285, 2288, एवं 2289, कुल ग्यारह प्लॉट के कुल रकवा 4.18 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमींदार महाराजा कुवंर बाबु बलदेव नारायण सिंह वल्द कुंवर स्वरूप नारायण सिंह को निबंधित इस्तिफानामा सं0–1777, दिनांक–08.07.1927 ई0 को इस्तिफा किया गया। कालांतर में गया मंझियाईन नावल्द फौत कर गई। जिससे उक्त खाते की शेष संपूर्ण भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा अपने कब्जे में लेकर उस पर खेतीबारी कर उसका उपयोग किया जाने लगा। बाद में भूतपूर्व जमींदार द्वारा उक्त भूमि को बंदोबस्त एवं निबंधित केवाला आदि के माध्यम से भिन्न–भिन्न रैयतों को दे दिया गया । दिनांक–20.02.1941 को भूतपूर्व जमींदार बाबू मनमोहन सिंह वो बाबू चन्द्रमोहन सिंह वगैरह द्वारा अपीलार्थी के पूर्वज गुदरिया महतो, वो मोहन महतो वगैरह को निबंधित इस्तेफानामा सं0–1777, दिनांक–08.07.1927 से प्राप्त भूमि समेत अन्य भूमि केवाला सं0–570/1941 ई0 द्वारा उक्त खाता नं0 17 के प्लॉट नं0 1368, 1369, 1370, 2276, 2277, 2278, 2279, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2288, 2289, रकवा क्रमशः 0.12 ए0, 1.07 ए0, 0.22 ए0, 0.31 ए0, 0.09 ए0, 0.24 ए0, 0.06 ए0, 1.14 ए0, 0.12 ए0, 0.16 ए0, 0.18 ए0, 0.75 ए0, 0.87 ए0, 0.08 ए0, कुल रकवा 5.41 एकड़ (पांच एकड़ एकतालीस डिसमिल) भूमि बिक्री कर दिये। अपीलार्थी के पूर्वज उपरोक्त खरीदगी भूमि पर खरिदगी तिथि के बाद शांतिपूर्वक दखलकार हुए। अपने जीवन काल तक खेती बारी कर उससे उपज का उपयोग किया तथा कुदरिया महतो

3/8/18

वगैरह के मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के पूर्वज उपरोक्त भूमि को खरीदने क पश्चात जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार को मालगुजारी देकर जमींदारी रसीद हासिल किये तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात बिहार सरकार एवं झारखण्ड सरकार का मालगुजारी देकर सरकारी रसीद हासिल कर रहे हैं। जो पंजी II के पृष्ठ सं0 13/II पर खारिज कर मोहन साव वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। विपक्षी खतियानी रैयत गया मंझियाईन का उत्तराधिकारी होने के आधार पर भू–वापसी का दावा करतें हैं जो सरासरी गलत है क्योंकि जब गया मंझियाईन नावल्द फौत कर गई तो उत्तरवादी का यह कहना कि वह गया मंझियाईन का वारिशान है सरासरी झूठ है। विपक्षी खतियानी रैयत गया मंझियाईन के वंशवृक्ष में नहीं आता है। इसलिए उक्त खाते की भूमि पर उसका कोई हक, दावा नहीं बनता है। इसके संबंध में यदुनाथ मांझी द्वारा पूर्व में भू–वापसी वाद सं0 4/92, 23/91–92 दायर किया गई थी। जिसमें गया मंझियाईन का वंशावली दायर किया गया था। जिसके आधार पर दिनांक 30.11.1992 को जे0 परधिया, कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश में गया मंझियाईन को नावल्द फौत बताया गया है। इसलिए उत्तरवादी के प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा नहीं बनता है। छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि यदि किसी भी आदिवासी रैयत का किसी गैर आदिवासी रैयत द्वारा उनके खतियानी भूमि से अवैध तरीके से बेदखल किया जाता है तो उसे वापस प्राप्त करने हेतु बेदखली की 12 (बारह) वर्षों के भीतर संबंधित उपायुक्त को आवेदन देकर भूमि वापस प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु इस वाद में खतियानी रैयत गया मंझियाईन के नावल्द फौत हो, जाने पर भूतपूर्व जमींदार द्वारा उक्त खाते की भूमि को नावल्दीयत होने के कारण अपने कब्जे में लेकर अपीलार्थी के पूर्वज को वर्ष–1941 में निबंधित केवाला से बेचा दिया है। तब से अपीलार्थी दखलकार चले आ रहे हैं। जबकि विपक्षी द्वारा बगैर किसी अधिकार एवं स्वामित्व के 70–75 वर्ष बाद भू–वापसी वाद दायर किया गया है जो काल बाधित होने के आधार पर खारिज करने योग्य था।

विपक्षी द्वारा दाखिल भू–वापसी आवेदन के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अंचल अधिकारी, गोला से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। अंचल अधिकारी, गोला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चालू पंजी II के पृष्ठ सं0 37/I पर खाता नं0 17 कुल रकवा 4.17 $^{1/4}$ मध्ये 2.39 $^{1/2}$ एवं पंजी II के पृष्ठ सं0 113/II पर खारिज कर मोहन साव वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज है तथा सरकारी रसीद वर्ष 1975–76 से 2005–2006 तक निर्गत है। अचंल अधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वज का दखल कब्जा 50 (पच्चास) वर्षों से चला आ रहा है तथा द्वित्तीय पक्ष 50 वर्षों से बेदखल हैं। जिसके आधार पर भी वाद खारिज करने योग्य था। विपक्षी प्रश्नगत भूमि पर कितने दिनों से बेदखल हैं उसकी भी जानकारी नहीं है। जैसा कि उनके द्वारा भू–वापसी हेतु दिये गये आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा सभी तथ्यों को निम्न न्यायालय के समक्ष रखा गया था परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों एवं कागजात पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः निम्न न्यालय का आदेश खारीज करने योग्य है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक संथाल जाति के अन्तर्गत आता है। ग्राम संग्रामपुर के रैयत सुरा मांझी के मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र धाना मांझी एवं खेपा मांझी उत्तराधिकारी हुए। धाना मांझी के मृत्यु के पश्चात उनके एकलौता पुत्र मंगला मांझी उत्तराधिकारी है और मंगला मांझी के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी मो0 गयामनी मंझियाईन उत्तराधिकारी हुई। प्रथम पक्ष का यह कहना है कि प्रश्नगत भूमि गयामनी मंझीयाईन ने सरेंडर किया है। परन्तु आवेदन में दायर प्लॉट का सरेंडर में उल्लेखित नहीं है। साथी ही ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा– 5 के अनुसार किसी भी विधवा को सरेन्डर करने का अधिकार नहीं है। अतः सरेन्डर विधि विरूद्ध है। द्वितीय पक्ष का दावा जाली, बनावटी कागजातों के आधार पर किया गया है तथा आदिवासी की भूमि को कब्जा किया गया है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46–4 (A) का उलंघन है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन में भूतपूर्व जमींदार बाबू मनमोहन सिंह वो बाबू चन्द्रमोहन सिंह वगैरह के द्वारा इस्ताफानामा सं0–1777/1927 दिखाया गया है एवं केवाला सं0–570/1941 द्वारा प्राप्त है, बताई जा रही है। जबकि लगान पाने वाला भूतपूर्व जमींदार ध्रुव नारायण सिंह हैं न कि बाबू मनमोहन सिंह, बाबू चन्द्रमोहन सिंह हैं। उक्त भूमि कैसे प्राप्त है, केवाला में नहीं लिखा है। छोटानागपुर कास्ताकारी अधिनियम की धारा–64 के अनुसार जमींदार प्रश्नगत भूमि को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक उपायुक्त से आदेश प्राप्त न हो। अपीलार्थी का केवाला सं0– 570/1941 असंवैधानिक है, जो विचार करने योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दाखील इस्तीफा दस्तावेजों में प्रश्नगत भू–खण्ड दर्ज नहीं है। भू–वापसी आवेदन में वंशावली दर्शाया गया है, नावल्द आदिवासी की भूमि उसमें निकटतम गोतिया के पास स्वतः स्थानांतरीत हो जाता है जिसके तहत विपक्षीगण हकदार है। यह उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत सही है। अपीलार्थी का दावा उनके नाम खुली जमाबंदी के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राजस्व रसीद हक–हकियत का प्रमाण नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल रजिस्टर्ड इस्तिफानामा मौजा संग्रामपुर के जमींदार के नाम नहीं है बल्कि अन्य जमींदार के नाम है। अपीलार्थी का मालगुजारी रसीद सन् 1975–76 से 2005–06 तक दर्ज है जैसा की अंचल प्रतिवेदन है और उनमें भूमि का दाखिल खारिज वाद सं0 103/79–80 में हुआ है जो अपीलार्थी के कागजों को संदेहात्मक कर रहा है। भू–वापसी वाद सं0 4/92 में कोई पूर्ण आदेश नहीं दिया गया बल्कि आदिवासी होने के बिन्दु पर सवाल उठाया है जिसका जाति प्रमाण–पत्र दाखिल किया हूँ। अतः यह वाद Resjudicate परिधि से बाहर है। भू–वापसी वाद सं0 110/83 में आदेश से पूर्व आवेदक को भूमि वापस कर दी गयी इसलिए उसका आदेश भी Resjudicate की परिधि से बाहर है। अतः विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष को वापस कराने हेतु निम्न न्यायालय के आदेश को सही बताया एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आदिवासी भूमि का गलत तरीके से हस्तानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित हो सके कि आदिवासी रैयत की भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (4-A) का अनुपालन करते हुए भूमि हस्तानान्तरित की गयी

है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश में हस्तक्षेप न करते हुए विपक्षी को भूमि वापस दिलाने का अनुरोध किया गया।

अचंल अधिकारी, गोला ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा– संग्रामपुर, थाना– गोला के ,खाता नं0–17, प्लॉट नं0–1368, रकबा– 0.12 एकड़, प्लॉट नं0– 1369, रकबा– 1.07 एकड़, प्लॉट नं0– 1370, रकबा– 0.22 एकड़, प्लॉट नं0– 1777, रकबा– 0.53 एकड़, प्लॉट नं0– 2288, रकबा– 0.87, कुल रकबा– 2.81 एकड़ भूमि मोसमात गया मांझीयाईन जौजे मंगला मांझी कौम शौताल के नाम से है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं है। साथ ही अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार मालगुजारी रसीद सन् 1975–76 से 2005–06 तक दर्ज है। जबकि भूमि का दाखिल खारिज वाद सं0–103/79–80 में हुआ है। यह अपीलार्थी के कागजातों पर संदेह उत्पन्न कर रहा है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्ताक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को भेजें एवं अभिलेख अभिलेखागार में जमा कराएं।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।